

प्रेषक,

सचिव (प्रभारी)

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड सचिवालय।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तराखण्ड।

यू0एस0डी0एम0ए0

देहरादून, दिनांक 11 मई, 2020

विषय: राज्य में अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि के कारण हुयी क्षति के सापेक्ष कृषकों को राहत दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या-104/USDMA-792(2020) दिनांक-29 अप्रैल, 2020 एवं पत्र संख्या-98/UADMA-801(2020) दिनांक-28 अप्रैल, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य में अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि के कारण हुई कृषि एवं बागबानी फसलों की क्षति हेतु कृषकों की व्यक्तिगत क्षति को इकाई निर्धारित करते हुए क्षति का आँकलन करवाये जाने एवं तदसम्बन्धित विवरण उपलब्ध करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में अवगत करवाना है कि वाँछित सूचना आतिथि तक अप्राप्त है। कृपया यथाशीघ्र क्षति का विवरण उपलब्ध करवाये जाने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एस.ए.मुरुगेशन)

सचिव (प्रभारी)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
2. निदेशक, कृषि, कृषि निदेशालय, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।
3. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोड़ा।

(एस.ए.मुरुगेशन)

सचिव (प्रभारी)

प्रेषक,

सचिव (प्रभारी)

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड सचिवालय।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तराखण्ड।

यू0एस0डी0एम0ए0

देहरादून, दिनांक 11 मई, 2020

विषय: राज्य में अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि के कारण हुयी क्षति के सापेक्ष कृषकों को राहत दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या-104/USDMA-792(2020) दिनांक-29 अप्रैल, 2020 एवं पत्र संख्या-98/UADMA-801(2020) दिनांक-28 अप्रैल, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य में अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि के कारण हुई कृषि एवं बागबानी फसलों की क्षति हेतु कृषकों की व्यक्तिगत क्षति को इकाई निर्धारित करते हुए क्षति का आँकलन करवाये जाने एवं तदसम्बन्धित विवरण उपलब्ध करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में अवगत करवाना है कि वाँछित सूचना आतिथि तक अप्राप्त है। कृपया यथाशीघ्र क्षति का विवरण उपलब्ध करवाये जाने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एस.ए.मुरुगेशन)

सचिव (प्रभारी)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
2. निदेशक, कृषि, कृषि निदेशालय, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।
3. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोड़ा।

(एस.ए.मुरुगेशन)

सचिव (प्रभारी)

प्रेषक,

सचिव (प्रभारी)

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड सचिवालय।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तराखण्ड।

यू0एस0डी0एम0ए0

देहरादून, दिनांक 11 मई, 2020

विषय: राज्य में अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि के कारण हुयी क्षति के सापेक्ष कृषकों को राहत दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या-104/USDMA-792(2020) दिनांक-29 अप्रैल, 2020 एवं पत्र संख्या-98/UADMA-801(2020) दिनांक-28 अप्रैल, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य में अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि के कारण हुई कृषि एवं बागबानी फसलों की क्षति हेतु कृषकों की व्यक्तिगत क्षति को इकाई निर्धारित करते हुए क्षति का आँकलन करवाये जाने एवं तदसम्बन्धित विवरण उपलब्ध करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में अवगत करवाना है कि वाँछित सूचना आतिथि तक अप्राप्त है। कृपया यथाशीघ्र क्षति का विवरण उपलब्ध करवाये जाने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एस.ए.मुरुगेशन)
सचिव (प्रभारी)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
2. निदेशक, कृषि, कृषि निदेशालय, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।
3. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोड़ा।

(एस.ए.मुरुगेशन)
सचिव (प्रभारी)